



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा

प्रथम सत्र

अंक-08

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2019

(माघ 23, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 20 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य श्रीमती अंबिका सिंहदेव, को जन्मदिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2016-17

(2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-27/2017/32, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018, पटल पर रखे।

4. पृच्छा

श्री नारायण चंदेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा सरकार द्वारा योजनाओं का नाम बदले जाने संबंधी स्थगन पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- स्थगन प्रस्ताव की सूचना का विषय स्थगन का विषय नहीं है। स्थगन प्रस्ताव के उल्लेखित तथ्यों के संबंध में चर्चा हेतु अन्य अवसर उपलब्ध हैं। अतः प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को मैंने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, सदस्य ने प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों ने आसंदी की व्यवस्था के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्था (सिम्स) में अग्निकांड की घटना से नवजात शिशुओं की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

8. बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया, तत्पश्चात् श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ दल के सदस्यों द्वारा भी बहिर्गमन किया गया।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं:-

- (1) श्री सौरभ सिंह
- (2) श्री सत्यनारायण शर्मा
- (3) श्री धर्मजीत सिंह
- (4) श्री अरूण वोरा
- (5) श्री अजीत जोगी

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-66, वैशालीनगर से निर्वाचित सदस्य श्री विद्यारतन भसीन को जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में दिनांक 08 फरवरी, 2019 से दिनांक 15 फरवरी, 2019 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति का उल्लेख करते हुये चर्चा स्थगित करने की मांग की।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि सामान्य परम्परा है कि अधिकारियों की अनुपस्थिति पर चर्चा नहीं होती है।

11. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने पुनर्ग्रहित चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अमरजीत भगत, नारायण चंदेल, दीपक बैज, सौरभ सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, बृहस्पत सिंह, डॉ.रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती छन्नी चंदू साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, सर्वश्री रेखचंद जैन, डमरूधर पुजारी, शैलेश पाण्डेय, प्रमोद कुमार शर्मा, कुंवर सिंह निषाद,

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री शिशुपाल सोरी, डॉ.विनय जायसवाल, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती ममता चन्द्राकर,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, सर्वश्री आशीष छाबड़ा, विक्रम शाह मण्डावी, रामकुमार यादव,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

12. अध्यक्षीय व्यवस्था

आज ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने आसंदी की व्यवस्था के विरोध में बहिर्गमन किया ।

मेरा यह मानना है कि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब माननीय सदस्य आसंदी की व्यवस्था से सहमत न हो, लेकिन इसके बावजूद भी आसंदी की व्यवस्था के विरोध में बहिर्गमन करना संसदीय परम्पराओं के विपरीत है । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि भविष्य में संसदीय परंपरा का ख्याल रखेंगे ।

सायं 7.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2019 (माघ-24, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा